न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :- मांगीलाल (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :- 66/2022
प्रार्थना पत्र :- अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सिविल प्रकिया संहिता

प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण **बनाम** **अप्रार्थीगण/वादीगण**

1. गजेन्द्र कुमार वगैरा. 1. नीमा वगैरा.

उपस्थितः-

1. श्री विजय तंवर अधिवक्ता प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण
2. श्री मदनसिंह भाटी अधिवक्ता वादीगण/अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांकः- 16.01.2024

अधिवक्ता प्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सिविल प्रकिया संहिता प्रस्तुत कर निवदेन किया कि वादीगण ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण के विरूद्ध माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर एक पक्षीय डिक्री प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के विरूद्ध प्राप्त की है। इससे क्षुब्ध होकर प्रार्थीगण/अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 यह प्रार्थना पत्र मजबूत आधारों पर एक पक्षीय डिक्री व निर्णय को अपास्त करवाकर पुनः सुनवाई हेतु प्रस्तुत है। उक्त मामले में सम्मन प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को प्राप्त नहीं हुवे थे न ही इस वाद की कोई जानकारी प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को थी। प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की वादीगण द्वारान तो सम्यक तामिल कराई गई और न ही समन पर प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर/अगुष्ठ निशान ही है। वादीगण द्वारा डाक कर्मचारी से मिलीभगत कर फर्जी तरीके से प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के पास कभी भी डाक लेकर आया और न ही प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा उक्त वाद संबंधी कोई डाक लेने से इन्कार ही किया। प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण जब अपने खातेदारी खेत खसरा नम्बर 432/1 रकबा 50.00 बीघा सरहद मौजा बारू की के.सी.सी करवाने हेतु जमाबंदी नकल प्राप्त करने हेतु पटवारी हल्का के पास आये तब उन्हे दिनांक 08.01.2022 को प्रथम बार हल्का पटवारी से यह ज्ञात हुआ कि आपके विरूद्ध इस भूमि बाबत आपके विरूद्ध न्यायालय में [illegible] हुआ है। आप किसी वकील के जरिये इस संबंध में जानकारी प्राप्त करें। तब प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने अपने वकील के मार्फत उक्त दावे एवं निर्णय की डिक्री नकल प्राप्त की तब प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को उक्त भूमि बाबत अपने विरूद्ध जारी एक पक्षीय डिक्री पारित होने

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 15:01:50 IST
Reason: SelfAttested

की सूचना प्राप्त हुई। उक्त निर्णय एवं डिक्री प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक पक्षीय पारित की गई है जबकि वादीगण द्वारा प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की सम्यक तामिल करवाया जाना था जिससे प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को अपना पक्ष रखने का अवसर प्राप्त होता जिससे प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का जवाब रिकॉर्ड पर लेकर तनकी कायम कर साक्ष्य सबूतों के आधार पर वाद का गुणावगुण पर निर्णय किया जा सकता था परन्तु प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को उक्त वाद की सूचना नहीं हुई तथा वाद में प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की सम्यक तामिल नहीं होने से प्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात किया गया है। न्यायहित में उक्त एक पक्षीय डिक्री व निर्णय को अपास्त कर प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना आवश्यक है यदि प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक पक्षीय डिक्री व निर्णय को अपास्त नहीं किया जाता है जो अपूरणीय क्षति होगी। प्रार्थीगण उक्त एक पक्षीय निर्णय एवं डिक्री को अपास्त कराने का अधिकारी है।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण/वादीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सिविल प्रक्रिया संहिता का जवाब प्रस्तुत नहीं करना चाहते है प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु निवेदन किया गया।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सिविल प्रक्रिया संहिता सुनी गयी।

पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, निर्णय/डिक्री, जमाबंदी एवं मूल पत्रावली इत्यादि का अवलोकन किया गया।

मूल पत्रावली में प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 01 और 02 गजेन्द्र कुमार और अशोक कुमार की तरफ से दिनांक 14.02.2018 को अधिवक्ता द्वारा अण्डरटेकिंग ली गई थी और पर्याप्त समय दिये जाने के बावजूद भी अधिवक्ता द्वारा न तो वकालतनामा और न ही जवाबदावा पेश किया गया। प्रकरण उदम पैरवी उदम हाजरी में खारिज किया गया। तदुपरान्त प्रकरण पुनः दर्ज किया जाकर प्रतिवादी को जरिये समन सूचित किया गया प्रतिवादी संख्या 1 का समन लेने से इन्कार की रिपोर्ट के साथ पुनः प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल किये गये इन्हे तामील माना गया। प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रार्थी संख्या 1 ता 3 की सम्यक तामिल करवाई गई थी जिसकी रसीद पत्रावली में संलग्न है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को पर्याप्त समय दिये जाने के बावजूद न तो वे स्वंय उपस्थित आये और न ही उनकी तरफ से कोई अधिवक्ता उपस्थित आये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 15:01:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

न्यायालय के विनम्र अभिमत इस्तगत प्रकरण में समन की सम्यक रूप से तामील करवाई है एवं प्रार्थीगण मूल वाद में प्रतिवादीगण को पर्याप्त समय दिया गया था अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सिविल प्रक्रिया संहिता अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सिविल प्रक्रिया संहिता भली भांति साबित नहीं होने के कारण अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कक्ष निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मांगीलाल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 15:01:50 IST
Reason: SelfAttested